न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज०

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा
पीठासीन अधिकारी– हेमन्त कुमार घनघोर आर0ए0एस0

मिसल संख्या	तारीख दायरा	तारीख फैसला
03 / 2012	07 / 09 / 2012	06 / 10 / 2025

1. बाबूलाल मृतक जरिए कायम मुकामानः–
   1 / 1 लोकेश कुमार पुत्र बाबूलाल जाति बैरवा नि0 नोनेरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
   1 / 2 कमलेश पुत्री बाबूलाल पत्नी भरतराज नि0 नोनेरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
   1 / 3 बद्रीबाई पत्नी स्व0 बाबूलाल जाति बैरवा नि0 नोनेरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा।

अपीलांट

बनाम

1. सीताबाई पुत्री गंगाराम जाति बैरवा नि0 नोनेरा तह0 पीपल्दा जिला कोटा
2. भवानीशंकर पुत्र बाबूलाल जाति खटीक नि0 गैंता रोड इटावा तह0 पीपल्दा
3. हेमचन्द आर्य पुत्र बाबूलाल आर्य जाति खटीक नि0 गैंता रोड इटावा तह0 पीपल्दा
4. सरपंच ग्राम पंचायत नोनेरा प0स0 इटावा जिला कोटा

रेस्पोडेन्ट

अपील बनाराजगी नामान्तकरण संख्या 632 दिनांक 30–7–12, सरपंच, ग्राम पंचायत नोनेरा, तहसील पीपल्दा जि० कोटा, अन्तर्गत धारा 75 ले० रे० एक्ट

निर्णय

अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत कर निवेदन किया कि आदेश इन्तकाल और अपील योग्य अधीनस्थ ग्राम पंचायत नोनेरा, खिलाफ कानून व एदाद मिसल होने से काबिल निरस्तनीय है। यह कि आराजी खसरा नम्बर 33 की 1.93 है० वाके ग्राम डडवाडा, पटवार हलका नोनेरा, तह० पीपल्दा जिला कोटा में स्थित है, जिसका खातेदार बाबूलाल दत्तक पुत्र गंगाराम, व सीता बाई दत्तक पुत्री गंगाराम जाति बेरवा निवासी नोनेरा तह० पीपल्दा दर्ज रिकार्ड है। उक्त आराजी पर प्रारंभ से ही अपीलांट का ही कब्जा चला आ रहा है, और सीता बाई का कभी कोई कब्जा उक्त आराजी पर नही रहा है, किन्तु सीता बाई ने चुपचाप एक पक्षीय दावा, राजीनामा करने के बावजूद भी गलत तौर पर डिक्री करवा लिया, जिसके विरुद्ध सर्वप्रथम 2009 में इजराय प्रस्तुत करने व नामान्तकरण गलत रूप से खुलवाने पर जानकारी हुई, और उक्त डिक्री व इजराय दोनो के विरूद्ध अपील राजस्व मण्डल अजमेर में प्रस्तुत की गई जो विचाराधीन है, और जिसमें ताफैसला अपील स्थगन आदेश जारी किया हुआ है, जिसके अनुसार रिकार्ड एवं मौके तथा कब्जे की स्थिति यथावत रखे जाने का आदेश पारित किया हुआ है और इस तथ्य की जानकारी तहसीलदार पीपल्दा को होने तथा पटवारी हल्का को होने के बावजुद गुपचुप तरीके से भूमि का विक्रय कर नामान्तकरण सं० 632 गलत तरीके से रेस्पो0 नं0 2 व 3 के पक्ष में खोल दिया गया जो कि त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है। यह कि उक्त आराजी से सम्बन्धित मामला राजस्व मण्डल मे विचाराधीन है, और दौराने अपील ताफैसला स्थगन आदेश होने से भूमि का विक्रय कानूनन नही किया जा सकता था और ऐसा विक्रय धारा 52 ट्रान्सफर आफ प्रोपर्टीज एक्ट के तहत प्रारंभ से ही प्रभावशून्य है। इसलिये खोला गया नामान्तकरण भी प्रभावशून्य व अवैध होने से निरस्तनीय है। यह कि इजराय के आधार पर गलत रूप से बोला गया नामान्तकरण सं० 506 दिनांक 16–7–09 के विरूद्ध भी अपील विचाराधीन थी, जो संभागीय आयुक्त कोटा के यहां जैरकार थी और उसमें दौराने अपील स्थगन आदेश जारी था और दिनांक 25–7–12 को

नामान्तकरण सं0 506 दिनांक 16–7–09 को विवादित करार दे दिया गया है और जिसकी प्रति 27–7–12 को पटवारी हल्का को देने के बावजूद उक्त नामान्तकरण कानूनन नही भरा जा सकता था, किन्तु इस कानूनी महत्वपूर्ण तथ्य को भी नजर अन्दाज कर पटवारी ने नामान्तकरण भरकर चुपचाप तथ्यों को छिपाते हुये सरपंच ग्राम पंचायत नौनेरा से नामान्तकरण तस्दीक करवा लिया, जब कि विवादित मामले में ग्राम पंचायत को नामान्तकरण तस्दीक करने का कोई अधिकार नही है, इसलिये भी उक्त नामान्तकरणः सं० 632 दिनांक 30–7–12 पूर्ण रूप से अवैध एवं त्रुटिपूर्ण होने से निरस्त किये जाने योग्य है। यह कि नामान्तकरण खोलने से पूर्व न तो मौके व कब्जे की जांच की गई, और न ही धारा 133 लै० रे० एक्ट के तहत जांच हेतु किती को नियुक्त कर जांच रिपोर्ट ही तलब की गई, जब कि मौके पर अपीलॉट का कब्जा था और जिसमे तिल्ली की फसल बो रखी थी, किन्तु न तो अपीलांट को बुलाया, न सुनवाई का अवसर दिया, न मौके की रिपोर्ट ब्राप्त की इसलिये नामान्तकरण सं० 632 कानून अवैध व त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है। यह कि माननीय राजस्व मण्डल अजमेर द्वारा जारी स्थगन आदेश को नजर अन्दाज कानूनन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि उक्त स्थगन आदेश में स्पष्ट रूप से अंकित किया हुआ है, कि रिकार्ड एवं मौके तथा कब्जे की यथास्थिति आगामी आदेश तक बनाये रखी जावे, तथा इसकी तहरीर तसीलदार पीपल्दा को भी जारी की हुई है। जिसकी अवहेलना करते हुये यह नामान्तकरण तस्दीक किया गया है, जो त्रुटिपूर्ण होने से काबिल निरस्तनीय है। अतः अपील प्रस्तुत कर निवेदन है कि अपील अपीलॉट स्वीकार फरमाई जाकर आदेश इन्तकाल नं0 632 दिनांक 30–7–12 निरस्त फरमाया जावे।

अपीलांट की ओर से अपील श्री गिरिराज कुशवाह एड0 ने पेश की। रिपोर्ट सरिस्ता का अवलोकन किया गया। रेस्पोडेंट की तलबी जर्ये सम्मन की गई। रेस्पोडेंट 1 व 2 की ओर से भागवन्त सिंह एड0 ने वकालतनामा पेश किया। रेस्पोडेंट 3 स्वयं उपस्थित है। रेस्पोडेंट 4 बावजूद सूचना अनुपस्थित होने के कारण रेस्पोडेंट 4 के विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। रेस्पोडेंट 1 ता 3 को जवाब हेतु काफी अवसर दिए जाने के बावजूद जवाब पेश नहीं है। अतः जवाब बंद किया जाकर एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई गई। पत्रावली वास्ते बहस हेतु नियत की गई।

बहस सुनी गई। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व बहस के तथ्यों का अवलोकन व मनन किया गया। अवलोकन व मनन के उपरान्त पाया कि प्रकरण में रेस्पोडेंट सख्या 1 सीताबाई के पक्ष में खोला गया नामान्तरण संख्या 506 निर्णय दिनांक 16.07.2009 की निगरानी संख्या 3926/2010 में माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान द्वारा दिनांक 14.07.2010 को जारी स्थगन आदेश जो कि पालनार्थ दस्ती जारी हुआ है कि प्रति वादी द्वारा पटवारी हलका/रेस्पोडेंट सं0 2 तहसीलदार पीपल्दा को दिनांक 27.07.2012 को तामिल कराए जाने का कोई भी प्रमाण पत्रावली में उपलब्ध नहीं है और न ही वरवक्त बहस विद्वान अधिवक्ता अपीलांट द्वारा कोई तामिली साक्ष्य प्रस्तुत किए है। न ही राजस्व रिकॉर्ड जमाबन्दी पर किसी तरह के स्थगन का साक्ष्य प्रस्तुत किया है। पटवारी हल्का द्वारा बावजूद स्थगन की सूचना के नामान्तरण संख्या 632 निर्णय दिनांक 30.07.2012 ग्राम डडवाडा को तथ्यों को छुपाकर मनमाने तरीके से खोले जाने का आरोप सही प्रतीत नहीं होता है। प्रकरण में नामान्तरण संख्या 506 दिनांक 16.07.2009 (रेस्पोडेंट सं0 2 सीताबाई पुत्री गंगाराम में पक्ष में खोला गया) की अपील माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त कोटा में निर्णय दिनांक 25.07.2012 को नामान्तरण संख्या 506 दिनांक 16.07.2009 को माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर में पक्षकारान के मध्य विचाराधीन निगरानी के निर्णय तक ''विवादित'' करार दिया गया है। परन्तु माननीय राजस्व मण्डल राज. अजमेर द्वारा उक्त निगरानी सं0 3926/2010 बाबूलाल बनाम सीताबाई में दिनांक 30.11.2023 को निर्णय पारित कर उक्त निगरानी खारिज कर दिए जाने से माननीय अतिरिक्त संभागीय आयुक्त द्वारा प्रासंगिक नामान्तरण को विवादित करार दिए जाने का भी प्रभाव अब शून्य हो गया

है। प्रकरण में रेस्पोडेंट के खातेदारी से संबंधित नामान्तरण सं0 506 दिनांक 16.07.2009 के संबंध में पेश निगरानी में माननीय राजस्व मण्डल द्वारा दिनांक 30.11.2023 को निगरानी खारिज कर दिए जाने से रेस्पोडेंट सं0 2 की खातेदारी अधिकार वर्तमान में सुरक्षित है और रेस्पोडेंट सं0 2 द्वारा रेस्पोडेंट सं0 3 व 4 के पक्ष में किए गए बेचान का नामान्तरण नं0 632 निर्णय दिनांक 30.07.2012 भी वर्तमान परिपेक्ष्य में सही प्रतीत होता है। अपीलांट एवं अपीलांट के विद्वान अभिभाषक अपीलांट सिद्ध नहीं कर पाए अतः अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय आज दिनांक 06.10.2025 का सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा